अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

अमोल रतन िसंह से पहले जे.

मेघ राज—अपील करनेवाला

बनाम

लक्ष्मी दत्त और अन्य-उत्तरदाताओं

2016 का आरएसए नंबर 3990

िसतम्बर 04, 2018

(ए)**िसिवल प्रक्िरया संिहता, 1908—एस.100—कब्जे का दावा—वाद में िनषेधात्मक िनषेधाज्ञा को सािबत करने का दाियत्व वादी पर है।**

आयोिजत,इसिलए, यिद उत्तरदाता उस संपत्ित पर कब्जे का दावा कर रहे थे जो उनके स्वािमत्व में थी (आवंटन पत्र उदाहरण पी-7 से पी-11 के आधार पर), तो िनषेधात्मक िनषेधाज्ञा के मुकदमे में, ऐसे कब्जे को सािबत करने का दाियत्व था उन पर।

(पैरा 26)

(बी)**िसिवल प्रक्िरया संिहता, 1908—एस.100—सािबत करने का दाियत्व बेदखली का अिधकार वादी पर है न िक प्रितवादी पर।**

आयोिजत,तथािप, दोहराने के िलए, जहां वादी द्वारा दायर मुकदमा केवल प्रितवादी के िखलाफ वादी की संपत्ित के कब्जे में हस्तक्षेप से िनषेधात्मक/स्थायी िनषेधाज्ञा की मांग करने वाला है (जैसा िक वादी द्वारा दावा िकया गया है), तो यह सािबत करने की िजम्मेदारी है
िक वह मुकदमे के लंिबत रहने के दौरान प्रितवादी द्वारा बेदखल कर िदया गया था, इसका अिधकार वादी पर होगा न िक प्रितवादी पर।

(पैरा 27)

(सी)**िसिवल प्रक्िरया संिहता, 1908—एस.100—प्रितकूल कब्ज़ा—प्रितवादी को 12 वर्ष से अिधक समय से वाद संपत्ित पर कब्ज़ा सािबत करना होगा।**

आयोिजत,ऐसे मामले में स्िथित िफर से अलग होगी जहां वादी-जमींदार मुकदमे की संपत्ित पर स्वािमत्व और उसके कब्जे की घोषणा चाहता है, यह दावा करते हुए िक मुकदमा शुरू होने के समय मूल रूप से मुकदमे की संपत्ित उसके कब्जे में थी, लेिकन दावा करता है कार्यवाही के लंिबत रहने के दौरान प्रितवादी द्वारा बेदखल कर िदया गया हो। ऐसी स्िथित में, हालांिक यह सािबत करने की िजम्मेदारी प्रितवादी पर होगी िक वह वादी के स्वािमत्व वाली मुकदमे की संपत्ित पर 12 साल से अिधक समय से लगातार कब्जा कर रहा है, तथािप, यह सािबत करने की िजम्मेदारी प्रितवादी की होगी। मुकदमे के लंिबत रहने के दौरान बेदखल करने का अिधकार अिनवार्य रूप से वादी पर होगा, हालांिक यिद प्रितवादी 12 साल तक अपने कब्जे को सािबत करने में असमर्थ है और इस तरह के सबूत पेश करने के दौरान, वह अपने कब्जे को केवल उसके बाद की तारीख से ही सािबत कर सकता है। मुकदमा स्थािपत िकया गया था, स्वाभािवक रूप से वादी पर बोझ, उस तथ्य से ही, िकसी भी मामले की दी गई पिरस्िथितयों में उन्मोिचत हो जाएगा। (यह िकसी भी मामले में वर्तमान मामले में िबल्कुल भी तथ्यात्मक स्िथित नहीं है क्योंिक यह घोषणा की मांग करने वाला मामला नहीं है)।

(पैरा 27)

(डी)सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—ओ.39, आरएलएस। 1 और 2—के लिए उपयुक्त प्रतिवादियों को वाद की भूमि पर कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने वाला निषेधाज्ञा - मूल वाद में वाद की संपत्ति पर निर्माण का कोई संदर्भ नहीं है - स्वीकार किए गए प्रतिकृति में वाद की भूमि पर दो कमरे बनाए गए थे - संशोधित वाद - वादी ने यह रुख अपनाया कि प्रतिवादी ने जबरन वाद की भूमि में प्रवेश किया और संपत्ति पर निर्माण
किया मुकदमे के लंबित रहने के दौरान - एक पूरी तरह से नई कहानी सामने आई - यदि मुकदमा शीर्षक के आधार पर मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा करने की मांग कर रहा था, तो वादी के अधिकारों पर निष्कर्ष पूरी तरह से अलग होंगे - मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है और उसके बाद अनिवार्य और परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की जा रही है। संशोधित रूप में, मुकदमे की स्थापना की तारीख पर वादी द्वारा कब्जा साबित किया जाना था, जिसे उन्होंने वास्तव में अपनी दलीलों से खारिज कर दिया था - निर्मित कमरों के लिए वादी का मुकदमा आंशिक रूप से अपील खारिज कर दिया गया।

आयोजित,निःसंदेह, यदि वाद वादी द्वारा अपने स्वामित्व के आधार पर वाद की संपत्ति पर कब्ज़ा चाहने के लिए दायर किया गया होता, तो ऐसा करने के उनके अधिकारों पर
निष्कर्ष पूरी तरह से अलग हो सकते थे; लेकिन यह मुकदमा केवल स्थायी निषेधाज्ञा (अपने मूल रूप में) की मांग करने वाला है, और उसके बाद अपने संशोधित रूप में अनिवार्य और परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाला है, मुकदमे की शुरुआत की तारीख पर उनके कब्जे को वादी द्वारा साबित किया जाना था, जो मेरी राय में उन्होंने वास्तव में अपनी ही दलीलों को खारिज कर दिया।

(पैरा 34)

आगे आयोजित,जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, यह कहा जाना चाहिए, हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष के संबंध में कि केवल एक वादी ने गवाह बॉक्स में कदम रखा है और अन्य ने नहीं, जबकि उक्त वादी संयुक्त मालिक नहीं है संपूर्ण मुकदमे की संपत्ति और इसलिए अन्य भूखंडों के कब्जे के संबंध में उसकी गवाही स्वीकार्य नहीं है जो उसके स्वामित्व में नहीं थे ('खसरा'संख्या 40 और 42), मेरी राय में यह निष्कर्ष गलत है, जैसा कि निचली अपीलीय अदालत ने सही ढंग से माना है, क्योंकि एक बार यह स्वीकार कर लिया गया था कि वादी एक-दूसरे के निकटतम परिवार थे, यानी पिता, पुत्र और पोते, भूखंडों के साथ सभी एक-दूसरे से सटे हुए हैं, यहाँ तक कि वादी संख्या भी नहीं। 2, सभी वादी के लिए एक गवाह के रूप में उपस्थित होने पर, मामले के अपने ज्ञान के संदर्भ में गवाही देना माना जाएगा, हालांकि वह गवाही अन्यथा यहां दिए गए कारण से खारिज की जा सकती है, यानी मुकदमे की संपत्ति पर वादी का कब्ज़ा वास्तव में था अलग-अलग समय पर अपनी दलीलों में अपनाए गए
विरोधाभासी रुख से यह साबित नहीं हुआ, जिससे प्रतिवादी के मुकदमे की संपत्ति पर उसके कब्जे के साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय हो गए।

गोपाल शर्मा, अधिवक्ता,अपीलकर्ता के लिए. प्रतिवादियों

की ओर से यशपाल मलिक, अधिवक्ता।

अमोल रतन िसंह, जे. (मौखिक)

<u>सीएम नंबर 10314-सी-2016</u>

(1) इसमें उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने से पहले अपील, यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि इसे दाखिल करने में 85 दिनों की देरी हुई है और हालांकि उस देरी की माफी के लिए आवेदन में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, मुख्य अपील में ही नोटिस जारी किया गया था, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा है देरी को माफ करने पर कोई गंभीर आपत्ति भी नहीं उठाई गई और परिणामस्वरूप, आवेदन की अनुमति दी जाती है और आवेदन में दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, अपील दायर करने में 85 दिनों की देरी को माफ किया जाता है, इस आशय से कि आवेदक एक गरीब है एक गांव में रहने वाला व्यक्ति, जिसे (जैसा कि कहा गया है) गांव के सम्मानित व्यक्तियों ने आश्वासन दिया था कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा। हालाँकि, इसके बजाय, उत्तरदाताओं ने वास्तव में डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही शुरू की, जिस पर यह अपील दायर की गई थी।

यह नियमित दूसरी अपील प्रतिवादी द्वारा तब दायर की गई है जब उत्तरदाताओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमा शुरू में ट्रायल कोर्ट [अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कैथल] द्वारा 31.10.2013 को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अपील दायर की गई थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय, यानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कैथल द्वारा दिनांक 15.02.2016 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा वादीगण को अनुमति दी गई है।

(2) प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर मुकदमे के माध्यम से (इसके बाद)। वादी के रूप में संदर्भित), उन्होंने शुरू में मांग की थी कि यहां अपीलकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाए, जिससे उसे मुकदमे की भूमि पर उनके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके, (जिसका पूरा विवरण निर्णयों में नहीं दिया गया है) नीचे दी गई अदालतों के अनुसार, लेकिन अभिलेखों से यह गैर-कृषि भूमि प्रतीत होती है, जिसे वादी के पैराग्राफ 1 (ए) से (डी) में चार भागों में पूरी तरह से वर्णित किया गया है)।

मुकदमे में नोटिस जारी होने पर, अपीलकर्ता प्रतिवादी उपस्थित हुआ और सामान्य प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए एक लिखित बयान दायर कियासुने जाने का अधिकार, तथ्यों आदि को छिपाना और गुण-दोष के आधार पर यह बताना कि वह जमीन का मालिक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने संपत्ति के एक हिस्से पर एक चारदीवारी का निर्माण किया है और पानी के निर्माण के लिए एक निविदा भी 'जारी' की है। उक्त चारदीवारी के भीतर टैंक।

अपीलकर्ता द्वारा वाद संपत्ति का कुछ हिस्सा खाली बताया गया था, जबकि इसके दूसरे हिस्से पर उसने दो कमरों वाला अपना आवासीय घर बनाया था, जहां वह रहता है।

उसका पिरवार।

वादी द्वारा दायर प्रितकृित में, उन्होंने इस बात से इनकार िकया िक िनर्मित दो कमरे प्रितवादी द्वारा बनाए गए थे, दूसरी ओर तर्क िदया िक उनका िनर्माण उनके (वादी-प्रितविादयों) द्वारा िकया गया था।

(3) उपरोक्त दलीलों पर, िनम्निलिखत मुद्दे थे
िवद्वान िवचारण न्यायालय द्वारा तय िकया गया:-

"1.क्या वादी प्रार्थना के अनुसार स्थायी िनषेधाज्ञा के िलए िडक्री के हकदार हैं? ओपीपी.

2. क्या वादीगण का वाद वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं है? ओपीडी

3. क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अिधकार नहीं है? ओपीडी

4. क्या वादी को अपने कृत्य और आचरण से वर्तमान मुकदमा दायर करने से रोका गया है? ओपीडी

5. क्या आवश्यक पार्टी के नॉन-जॉइन्डर के िलए सूट खराब है? ओपीडी

6. क्या िसिवल न्यायालय के पास वर्तमान मुकदमे पर िवचार करने और िवचारण करने का कोई अिधकार क्षेत्र नहीं है? ओपीडी

7. क्या दुराचार के िलए मुकदमा बुरा है? ओपीडी

8. क्या वादी ने अदालत से सच्चे और भौितक तथ्य छुपाये हैं? ओपीडी

9. राहत।

(4) इसके बाद, मुकदमे के चरण में ही, वादी
वादपत्र में संशोधन के िलए एक आवेदन दायर िकया, िजसमें तर्क िदया गया िक 07.07.2012 को, जब वे स्टेशन से बाहर थे, अपीलकर्ता-प्रितवादी ने मुकदमे की संपत्ति में अितक्रमण िकया था और अवैध रूप से कब्जा कर िलया था और उनकी सहमित के िबना उस पर िनर्माण कर िलया था। आवेदन की अनुमित दी गई, इसिलए संशोधित वादपत्र को िरकॉर्ड पर िलया गया, िजसके द्वारा वादी द्वारा अिनवार्य
िनषेधाज्ञा की िडक्री मांगी गई, िजसमें अपीलकर्ता को संपत्ति का खाली कब्जा सौंपने का िनर्देश िदया गया, साथ ही उसे उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया। उसके बाद उस पर शांितपूर्ण कब्ज़ा।

उसके बाद संशोधित वादपत्र पर एक िलिखत बयान अपीलकर्ता द्वारा दायर िकया गया, िजसमें यह तर्क िदया गया िक वादी वास्तव में चले गए थे

िपछले 40 वर्षों से गाँव में, उसने सूट की संपत्ति पर दो कमरों वाला अपना घर बनाया है और 07.07.2012 को उसके द्वारा कोई िनर्माण नहीं िकया गया था।

संशोधत दलीलें दायर िकए जाने पर, िवद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा िनम्निलिखत अितिरक्त मुद्दे तय िकए गए: -

"2-ए)क्या मुकदमे के लंिबत रहने के दौरान प्रितवादी ने मुकदमे की संपत्ति पर अवैध और अनिधकृत रूप से कब्जा कर िलया था? ऑप

2-बी) क्या वादी प्रार्थना के अनुसार अिनवार्य िनषेधाज्ञा के िलए िडक्री का हकदार है? ऑप

3. राहत।''

(5) वादी ने वादी सिहत दो गवाहों की जांच की नहीं। 4 जय देव @ देव और एक साधु राम, जबिक अपीलकर्ता प्रितवादी ने खुद को, एक राम कुमार और दूसरे, राज कुमार को क्रमशः डीडब्ल्यू 1, 2 और 3 के रूप में जांचा।

दोनों पक्षों ने दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत िकये।

(6) अंक संख्या. 1, 2, 2 ए और 2 बी को एक साथ िलया गया िवद्वान ट्रायल कोर्ट, िजसने सबसे पहले यह िनष्कर्ष दर्ज िकया िक िववाद वास्तव में सभी चार के िलए योग्य नहीं था।'खसरा'वादपत्र के पहले पैराग्राफ में दर्शाए गए नंबर, लिकन केवल मुकदमे की भूिम के उस िहस्से के संबंध में, िजस पर दो कमरों वाला एक घर बनाया गया था, िजसे प्रत्येक पक्ष ने िनर्माण करने का दावा िकया था, हालांिक अपीलकर्ता ने कहा था िक िनर्माण नहीं िकया गया था। 07.07.2012 को लिकन उससे बहुत पहले बनाया गया।

(7) उस िनष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, िवद्वान ट्रायल कोर्ट गया यह मानते हुए िक शुरू में दायर िकए गए वाद में, वादी ने कहीं भी यह उल्लेख नहीं िकया था िक उन्होंने मुकदमे की भूिम पर दो कमरे बनाए हैं और यह केवल तब हुआ जब अपीलकर्ता ने अपना िलिखत बयान प्रस्तुत िकया था, िजसमें कहा गया था िक उसने अपना घर बनाया था दो कमरे, िजनकी प्रितकृित में वादी ने आरोप लगाया िक कमरों का
िनर्माण उनके द्वारा िकया गया था; हालाँिक, इसमें यह भी उल्लेख िकए िबना िक िकस पर ''खसरा'संख्या, 'में से'खसरा'उनके द्वारा दर्शाए गए नंबर, िनर्माण िकया गया था।

(8) घटनाएँ लंिबत रहने के दौरान घिटत हुई बताई गई हैं वाद को िवद्वान अितिरक्त िसिवल न्यायाधीश ने भी अपने िनर्णय में इस आशय से संज्ञान में िलया है िक आदेश XXXIX िनयम 1 और 2 सीपीसी के तहत वादी द्वारा दायर आवेदन पर,

उस न्यायालय द्वारा 08.09.2009 को अनुमित दी गई (मुकदमा 25.04.2009 को शुरू िकया गया था), उसके बाद 29.07.2010 को वादी ने उपरोक्त आदेश के कार्यान्वयन के िलए पुिलस सहायता की मांग करते हुए एक आवेदन दायर िकया, िजसमें आरोप लगाया गया िक इसके पािरत होने के बाद भी, प्रितवादी उन्हें मुकदमे की संपत्ित से बेदखल करने की धमकी दे रहा था और पिरणामस्वरूप, िदनांक 31.03.2011 के एक आदेश के माध्यम से, SHO पुिलस स्टेशन कलायत को उक्त आदेश (िदनांक 08.09.2009) को लागू करने के िलए वादीगण को पर्याप्त सहायता प्रदान करने का
िनर्देश िदया गया था।

इसके बाद 02.09.2011 को िफर से, वादी ने सीपीसी की धारा 151 के तहत एक और आवेदन दायर िकया, िजसमें िफर से पुिलस की मदद मांगी गई, इस आरोप के साथ िक अपीलकर्ता-प्रितवादी उपरोक्त आदेश का उल्लंघन कर रहा था। उस आवेदन को भी अनुमित दे दी गई, साथ ही SHO को िफर से िनर्देश िदया गया िक यिद वादी को उनके कब्जे की सुरक्षा के िलए आवश्यकता हो तो पुिलस सहायता प्रदान की जाए।

(9) िदनांक 02.09.2011 को SHO को मामला दर्ज करने का िनर्देश िदया गया "वादी के कब्जे" में अितक्रमण करने वाले िकसी भी व्यक्ित के िखलाफ।

उस आदेश के िखलाफ, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2011 का िसिवल िरवीजन नंबर 6348 दायर िकया, िजसे 10.07.2012 को िनपटाया गया, आदेश में यह देखते हुए िक वादी ने दावा िकया था िक वाद की भूिम खाली है, िजसमें
िनषेधाज्ञा दी गई थी। 08.09.2009 को पक्ष, और इसिलए उस िनषेधाज्ञा को केवल पैराग्राफ संख्या में वर्िणत िरक्त भूिम के संबंध में एक माना जाएगा। 1 [वादी के उप पैराग्राफ (ए) से (डी)]।

िवद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा िक इस न्यायालय के उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है िक वादी पक्ष के िवद्वान वकील द्वारा यह 'तर्क' िदया गया था िक संपत्ित को स्थानीय आयुक्त की िनयुक्ित द्वारा मापा और पहचाना जाए, जो प्रार्थना थी अस्वीकार कर िदया गया लेिकन वादीगण को यह छूट दी गई िक यिद वे चाहें तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष ऐसा आवेदन दायर कर सकते हैं।

(10) ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा िक
स्थानीय आयुक्त की िनयुक्ित के िलए इस तरह के एक आवेदन को आगे बढ़ाने के बजाय, वादी ने वादी में संशोधन के िलए 02.11.2012 को एक आवेदन िदया, िजसमें आरोप लगाया गया िक 07.07.2012 को प्रितवादी ने मुकदमे की संपत्ित में अितक्रमण िकया था, अवैध कब्जा कर िलया था और उठाया था िनर्माण। उस अदालत ने देखा िक उनके द्वारा यह रुख अपनाया गया था, भले ही 2011 के िसिवल िरवीजन नंबर 6348 से कुछ भी नहीं िदखाया गया था िक इस अदालत के समक्ष यह तर्क िदया गया था िक प्रितवादी ने मुकदमे के लंिबत रहने के दौरान पहले ही घर पर कब्जा कर

िलया था।

(11) इसिलए, ट्रायल कोर्ट इस िनष्कर्ष पर पहुंचा िक

वादी ने जानबूझकर घर के सटीक स्थान के संबंध में वाद भूमि का सीमांकन करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दिया, प्रतिवादी (वर्तमान अपीलकर्ता) ने तर्क दिया कि उसका निर्माण उसके द्वारा किया गया था, और परिणामस्वरूप, ऐसा प्रतीत हुआ कि वादी को पता था प्रतिवादी द्वारा मुकदमे की भूमि के एक हिस्से पर पहले से ही घर का निर्माण किया गया था, जिस पर वादी "कथित बेदखली की आड़ में" कब्जा करना चाहते थे, जो कि उस न्यायालय के अनुसार, मौखिक साक्ष्य से भी स्पष्ट था। वादीगण द्वारा.

यह देखा गया कि यद्यपि पीडब्लू-1 जय देव (वादी संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 3) ने अपनी जिरह में कहा था कि उनका वोटर कार्ड और राशन कार्ड समालखा में जारी किए गए थे, हालांकि, पीडब्लू-2 साधु राम ने कहा था कि वादीगण के वोटर कार्ड और राशन कार्ड ग्राम मटोर में जारी किए गए थे, यानी जहां वाद की भूमि स्थित है। पीडब्लू-2 ने यह भी गवाही दी कि वादी ने पंचायत, संसदीय और राज्य विधायिका के
निर्देशों के लिए अपना वोट डाला था।

ट्रायल कोर्ट द्वारा यह भी पाया गया कि पीडब्लू-2 ने अपनी जिरह में कहा था कि वादी नं. 1 लक्ष्मी दत्त ने मुकदमे की जमीन पर दो कमरों वाला अपना घर बनाया था, जिसे प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि पीडब्लू -1 जय देव ने अपने जिरह में कहा कि जुलाई 2012 के पहले सप्ताह में, अपीलकर्ता प्रतिवादी ने, ध्वस्त करने के बाद ए 'कोठा'वादीगण द्वारा निर्मित, दो भूखण्डों पर अवैध कब्जा कर लिया।'खसरा'संख्या 40 और 41.

उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के विपरीत, अभिवचनों में वादी पक्ष ने यह आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने 07.07.2012 को निर्माण कार्य कराया था, जिसमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि उसने पहले वादी द्वारा पहले से निर्मित कमरों को ध्वस्त कर दिया था। पीडब्लू-2 ने अपनी गवाही में यह भी कहा कि विवादित घर का
निर्माण 2 में किया गया थारा2012 का महीना.

(12)उपरोक्त विरोधाभासों को पूर्णतः सही माना गया
असंगत और परिणामस्वरूप, यह माना गया कि वादी द्वारा दिए गए साक्ष्य यह सिबत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि विवादित घर का निर्माण उनके द्वारा किया गया था।

एक 'फ़ाइल लेखन' (उदा. पी-13) का हवाला देते हुए, जिसके द्वारा वादी यह सिबत करना चाहते थे कि निर्माण उनके द्वारा किया गया था, ट्रायल कोर्ट ने माना
कि उक्त दस्तावेज़ को प्रतिवादी ने स्वीकार किया था कि उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। लेकिन यह वादी संख्या के बीच विवाद से संबंधित है। 1 लक्ष्मी दत्त और एक सुरेश ने

ईंटों के भुगतान पर इस मामले में समझौता कर िलया। हालाँिक, यह उस न्यायालय द्वारा भी पाया गया था

दस्तावेज़ में िकसी तारीख का उल्लेख नहीं िकया गया था और यह भी नहीं माना जा सकता था िक ईंटों का िववाद वाद की भूिम पर बने घर (दो कमरे) के िववाद से संबंिधत था।

(13) िवद्वान ट्रायल कोर्ट ने एक और िनष्कर्ष दर्ज िकया इसका प्रभाव यह हुआ िक यद्यिप वादी सभी एक ही पिरवार के सदस्य थे (वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 और 4 के िपता और वादी संख्या 3 के दादा थे), तथािप, सभी चार ''खसरा'मुकदमे की भूिम को शािमल करने वाले नंबर प्रत्येक वादी को व्यक्ितगत रूप से आवंिटत िकए गए थे और इसिलए, वे एक के कब्जे में पूर्ण मािलक थे।'खसरा' प्रत्येक को संख्या आवंिटत की गई थी और वे वादपत्र के पैराग्राफ 1 के उपपैराग्राफ (ए) से (डी) में वर्िणत संपूर्ण वाद भूिम के संयुक्त कब्जे में सहभागी नहीं थे।

(14) वादी संख्या के (िदवंगत) िपता। 3 होना पाया गया आवंिटत''खसरा'नहीं। 40, वादी सं. 2 खसरा नं. 41, वादी सं. 4''खसरा'नहीं। 42 एवं वादी सं. 1''खसरा'नहीं। 43. हालाँिक, केवल वादी संख्या के साथ। 4 जय देव ने पीडब्लू-1 के रूप में गवाही दी और अपनी िजरह में कहा िक प्रितवादी ने 'अितक्रमण िकया था''खसरा' संख्या 40 और 41, ट्रायल कोर्ट द्वारा यह अनुमान लगाया गया था िक उक्त दोनों के संबंध में िजम्मेदारी ''खसरा'नंबर, वादी नंबर पर था। क्रमशः 3 और 2, िजन्होंने िकसी भी अितक्रमण के संबंध में गवाही नहीं दी, वादी संख्या की गवाही। उस पहलू पर 4 को स्वीकार नहीं िकया जा सका।

(15) उपरोक्त सभी अवलोकनों के आधार पर तथा िनष्कर्षों के अनुसार, िवद्वान अितिरक्त िसिवल न्यायाधीश द्वारा यह माना गया िक वाद भूिम के एक िहस्से पर बने दो कमरों का िनर्माण वादी द्वारा नहीं िकया गया था और इसिलए एक उिचत िनष्कर्ष िनकाला जा सकता है िक उनका िनर्माण अपीलकर्ता (प्रितवादी) द्वारा, इससे पहले िकया गया था। मुकदमे की संस्था. इसे डीडब्ल्यू-1 के रूप में अपीलकर्ता-प्रितवादी की गवाही से और भी मजबूत माना गया, िजसने अपने हलफनामे में िलिखत बयान के दावों को दोहराने के अलावा, पूर्व। DW1/A ने दो अन्य गवाहों से भी पूछताछ की िजन्होंने गवाही दी िक घर का िनर्माण उन्होंने लगभग 40 साल पहले िकया था, लिकन अदालत द्वारा उनकी िजरह में ऐसा कुछ भी नहीं िमला
िजससे गवाही की सत्यता पर कोई संदेह पैदा हो।

(16)इस प्रकार, मुख्य मुद्दों का िनर्णय के पक्ष में िकया गया अपीलकर्ता-प्रितवादी और प्रितवादी-वादी के िखलाफ, वर्िणत अन्य मुद्दों को दबाया या तर्क नहीं िदया गया, िजसके पिरणामस्वरूप मुकदमा खािरज कर िदया गया।

(17) प्रितवादी-वादी द्वारा दायर अपील में, िवद्वान

अतिरक्त िजला न्यायाधीश, कैथल ने तथ्यों और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद िनष्कर्ष िनकाला िक िरकॉर्ड में पेश िकए गए दस्तावेज भूतपूर्व के हैं। पी7 से पी-11 तक, यह दर्शाता है िक वादी वर्ष 1976 में ग्राम मटोर में रह रहे थे और वाद के पहले पैराग्राफ में वि्रणत भूखंड, प्रत्येक की माप 03 मरला, उन्हें घर बनाने के उद्देश्य से आवंिटत की गई थी, आवंटन 06.08.1976 को िकया गया है।

राजस्व िरकॉर्ड 'के रूप मेंजमाबंदी'(वर्ष 2004-05 के िलए अिधकारों का िरकॉर्ड) पूर्व के रूप में प्रदि्रशत िकया गया। पी-1 से पी-4 तक, यह भी दर्शाता है िक वे उक्त के मािलक हैं''खसरा'संख्याएँ, ' के साथ'अक्स शजरा'(फ़ील्ड नंबरों के साथ साइट योजना) का स्थान भी िदखा रहा है 'खसरा'नंबर.

(18) उपरोक्त िनष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, यह माना गया िक आबंटन और साथ ही राजस्व िरकॉर्ड में भूखंडों का स्वािमत्व और कब्जा वादी के पास िदखाया गया है, अिधकारों के िरकॉर्ड से जुड़ी सत्य की धारणा को केवल समान मूल्य के साक्ष्य द्वारा खंिडत िकया जा सकता है और इसिलए, यह िदखाने का दाियत्व है िक यहां अपीलकर्ता (प्रितवादी) कैसे है) मुकदमे की संपत्ि‍त के कब्जे में आ गया, उसे हस्तांतिरत कर िदया गया, िजसके िलए उसने केवल मार्क डीए के रूप में उस न्यायालय के समक्ष िरकॉर्ड पर रखे गए एक दस्तावेज पर भरोसा िकया था, जो हालांिक उसके द्वारा सािबत नहीं िकया गया था। उक्त दस्तावेज़ में बस इतना कहा गया है िक जो भूखंड अन्य व्यक्ि‍तयों को आवंिटत िकए गए थे, ग्राम पंचायत ने उन पर प्रितवादी को िनर्माण करने की अनुमित दी थी, इसमें यह भी कहा गया था िक वादी लंबे समय से गांव में नहीं रह रहे थे।

हालाँिक, िवद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी पाया िक उक्त दस्तावेज़ (मार्क डीए) में कोई िचत्रण नहीं िकया गया है''खसरा'या'िकला'संख्याएँ िजनके संबंध में ऐसी अनुमित दी गई थी। इसिलए, यह माना गया िक यह नहीं कहा जा सकता िक जो भूखंड मुकदमे की िवषय वस्तु थे, वे वही थे जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रितवादी (यहां अपीलकर्ता) को आवंिटत िकए गए थे।

(19)अपीलकर्ता-प्रितवादी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दस्तावेज़ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे मार्क डीबी के रूप में देखा गया था, (हालाँिक अंततः यह उसके द्वारा पूर्व डी-4 के रूप में सािबत हुआ था)। हालाँिक, वह दस्तावेज़ िदनांक 20.04.2009 का पाया गया और उस कारण से (आिक्षपत िनर्णय में नहीं दी गई तारीख के संबंध में िलया गया िनष्कर्ष), यह माना गया िक अपीलकर्ता के पास मुकदमे की संपत्ि‍त का कोई अिधकार नहीं था।

ऐसा मानते हुए भी, उस न्यायालय ने यह देखा िक वादी ने अपनी िजरह में स्वीकार िकया था िक वे वहां नहीं रह रहे थे

हालाँिक, गाँव मटोर, उनके गवाहों की गवाही से यह पाया गया िक "उनके िपता" अभी भी वहाँ रह रहे थे और वादी नं। 1, लक्ष्मी दत्त, (वास्तव में दो वादी के िपता), हर कुछ
िदनों के बाद गाँव आते थे। इसिलए, यह माना गया िक यह नहीं कहा जा सकता है िक लक्ष्मी दत्त गांव में नहीं रहते थे और भले ही उनके बेटे िकसी अन्य स्थान पर काम कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था िक उन्होंने उन्हें आवंिटत संपत्ति का अिधकार खो िदया था। वर्ष 1976, िवशेषकर चूँिक प्रितवादी द्वारा कोई प्रितदावा दायर नहीं
िकया गया था; उपहार िवलेख के साथ, पूर्व। पी-7 से पी-10 तक, वादी के पक्ष में, उसके द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई। िफर भी 'जमाबंदी' (Exs के रूप में प्रदर्शित िकया गया। पाया गया िक पी-1 से पी-4) को कभी चुनौती नहीं दी गई और पिरणामस्वरूप, अदालत ने माना िक भले ही यह मान िलया जाए िक अपीलकर्ता-प्रितवादी 40 वर्षों से िववादग्रस्त भूिम पर रह रहा था, उसने कभी चुनौती नहीं दी उपहार िवलेख या 'जमाबंदी', उनके ज्ञान में बहुत कुछ होने के बावजूद,
िजसमें यह तथ्य भी शािमल है िक भूिम वादी के पक्ष में आवंिटत की गई थी, इससे वादी को उस िडक्री से वंिचत नहीं िकया जा सकता जो उन्होंने चाहा था।

तब यह माना गया िक केवल वादी में से एक की यह स्वीकारोक्ति िक प्रितवादी ने भूिम पर अितक्रमण िकया था और अपना घर बनाया था, उस पर उसके लंबे समय तक कब्जे को सािबत करने के िलए पर्याप्त नहीं था।

(20) आगे यह माना गया िक वाद स्वीकार कर िलया गया है
संशोधत, इस तर्क के साथ िक प्रितवादी ने मुकदमे के लंिबत रहने के दौरान वाद की भूिम पर अितक्रमण िकया था, यह सािबत करने की िजम्मेदारी उस पर (प्रितवादी) थी
िक वह उस पर कब कब्ज़ा कर िलया; लेिकन यह बताने के अलावा िक वह लंबे समय से वहां रह रहा है, उसने िवशेष रूप से यह नहीं बताया िक वह िकस तारीख, महीने और वर्ष से वहां रह रहा है।

इसके बाद, िफर से दस्तावेज़, मार्क डीए का िजक्र करते हुए, द्वारा
िजसमें
प्रितवादी को 04.03.2009 को घर बनाने की अनुमित दी गई थी, अदालत ने पूर्व कपर साथ उस दस्तावेज़ को पढ़ा। पी-13, िजसे अपीलकर्ता-प्रितवादी द्वारा सही माना गया था, इस आशय से िक िववाद में भूिम पर ईंटों और िमट्टी की आपूर्ति सुरेश नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी और इसिलए यह िनर्णय िलया गया िक वादी सं. 1 लक्ष्मी दत्त ईंटों के बदले सुरेश को 5,000/- रुपये देंगे। नतीजतन, प्रथम अपीलीय अदालत ने यह अनुमान लगाया िक लक्ष्मी दत्त ने घर बनाने के िलए सामग्री खरीदी थी। इसिलए, सभी पिरस्थितियों को एक साथ रखा जाता है, िजसमें 'से जुड़ी सत्य की धारणा भी शािमल है'जमाबंदी'वादी के नाम पर िवचाराधीन भूखंडों का आवंटन

होने के कारण, अदालत ने माना िक वादी का मुकदमा िडक्री के योग्य है।

उपरोक्त िनष्कर्षों पर, वादी द्वारा दायर अपील की अनुमित दी गई और उस न्यायालय द्वारा मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में सुनाया गया।

(21)इस न्यायालय के समक्ष, इसमें 2 रा अपील, श्री गोपाल शर्मा, अपीलकर्ता-प्रितवादी के िवद्वान वकील ने प्रस्तुत िकया (वास्तव में वही दोहराया जो ट्रायल कोर्ट ने देखा था), िक केवल वादी संख्या के साथ। 4 जय देव (यहां प्रितवादी संख्या 3), प्रितवादी द्वारा मुकदमे की संपत्ित पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में गवाही देने के िलए गवाह बॉक्स में कदम रखा, और उसकी गवाही केवल प्लॉट नंबर के संदर्भ में थी। 40 और 41, जो उसका नहीं बल्िक वादी क्रमांक का था। 2 और 3, इसिलए, उक्त गवाही को स्वीकार नहीं िकया जा सकता था, (अपीलीय न्यायालय द्वारा), जैसा िक वादी संख्या के साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा सही माना गया था। 2 और 3 ने गवाह बॉक्स में कदम नहीं रखा। िवद्वान वकील के अनुसार, यह िसिवल प्रक्िरया संिहता के आदेश XLI के िनयम 31 का उल्लंघन होगा, जो इस प्रकार है: -

> "**फैसले की सामग्री, तारीख और हस्ताक्षर।**---अपीलीय न्यायालय का िनर्णय िलिखत रूप में होगा और इसमें कहा जाएगा---
>
> (ए)िनर्धारण के
>
> िबंदु; (बी) उस पर
>
> िनर्णय;
>
> (सी) िनर्णय के कारण; और
>
> (डी) जहां अपील की गई िडक्री उलट दी गई है या बदल दी गई है, अपीलकर्ता िजस राहत का हकदार है, और िजस समय इसे सुनाया जाएगा उस पर न्यायाधीश या उससे सहमत न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षिरत और िदनांिकत िकया जाएगा।

इस प्रकार, तर्क यह है िक आक्षेिपत िनर्णय में कोई कारण नहीं बताया गया है िक वादी संख्या की गवाही कैसे हुई। 4 जय देव, पीडब्लू-1 के रूप में, वादी संख्या के साथ उन भूखंडों के संदर्भ में स्वीकार िकया जा सकता है जो उसके नहीं हैं। 2 और 3 (देवी दत्त उर्फ देव और माही पाल), िजनके उक्त भूखंड हैं, ने गवाह बॉक्स में कदम नहीं रखा है, गवाही को खािरज कर िदया जाना चािहए था।

उन्होंने उस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के िनम्निलिखत दो िनर्णयों पर भरोसा िकया: -

एच.िसद्दीकी (डी) एलआर द्वारा बनाम**ए रामिलंगम**[1] और **राजेश्वरी** बनाम**पूरन इंदौिरया**[2].

[1] 2011 (4) एससी 240

[2] 2005 (4) आरसीआर (िसिवल) 36

(22) िवद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत िकया िक अपीलीय न्यायालय गलती से यह सिाबत करने की िजम्मेदारी अपीलकर्ता-प्रितवादी पर डाल दी गई िक कब्जा बाद में उसके द्वारा नहीं िलया गया, जबिक यह सािबत करने की िजम्मेदारी वादी पर रहेगी, िजन्होंने वास्तव में अपनी यािचका में तभी संशोधन िकया था जब उन्हें पता चला िक वे इसे सािबत नहीं कर सके। वाद संपत्ित पर कब्ज़ा.

(23) इसके िवपरीत, श्री यशपाल मिलक, िवद्वान वकील प्रितवादी-वादी ने प्रस्तुत िकया िक मुकदमे की संपत्ित पर प्रितवादी के कब्जे के पक्ष में िवद्वान िसिवल न्यायाधीश द्वारा िलया गया िनष्कर्ष प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सही ढंग से खािरज कर िदया गया था, इस कारण से िक सत्य की धारणा अिधकारों के िरकॉर्ड से जुड़ी हुई है ('जमाबंदी' उदाहरण पी-1 से पी-4) और इसिलए, यह िदखाने की िजम्मेदारी िक प्रितवादी मुकदमा दायर करने से पहले भी मुकदमे की संपत्ित पर कािबज था, वास्तव में उस पर था, यानी अपीलकर्ता-प्रितवादी पर।

वादी में से केवल एक के गवाह बॉक्स में कदम रखने के संबंध में, श्री मिलक ने प्रस्तुत िकया िक अन्य वादी के िखलाफ कोई प्रितकूल िनष्कर्ष नहीं िनकाला जा सकता है, िजनकी ओर से एक वादी ने गवाह बॉक्स में कदम रखा था, और दायर वाद के संदर्भ में गवाही दी थी। सभी वादी.

(24) उन्होंने आगे अपीलकर्ता-प्रितवादी की गवाही का उल्लेख िकया मेघ राज (डीडब्ल्यू-1 के रूप में), िरकॉर्ड से, यह प्रस्तुत करने के िलए िक एक बार संपत्ित के स्वािमत्व पर उनके द्वारा भी िववाद नहीं िकया गया था, जबिक भूखंडों को ग्राम पंचायत द्वारा आवंिटत िकया गया था, जो िविधवत रूप से पिरलक्िषत होता है। जमाबंदी',अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे िरकॉर्ड के पक्ष में अनुमान को वादी के पक्ष में सही ढंग से िलया गया था।

पिरणामस्वरूप, उत्तरदाताओं के िवद्वान वकील ने अपील को खािरज करने की प्रार्थना की।

(25) नीचे िदए गए दोनों न्यायालयों के िनर्णयों पर िवचार करने के बाद इस न्यायालय के समक्ष िदए गए तर्कों के साथ-साथ, यह ध्यान देना आवश्यक है िक अपील के आधार पर, अपीलकर्ता के िवद्वान वकील द्वारा कानून के िनम्निलिखत प्रश्न तैयार िकए गए हैं: -

i) क्या नीचे दी गई िवद्वान अदालतों के िनष्कर्ष Exs की गलत व्याख्या है। पी-7 से पी-10 (आवंटन/उपहार िवलेख)?

ii) क्या वादी द्वारा दायर िनषेधाज्ञा का मुकदमा प्रितवादी के िखलाफ चलने योग्य है?

(iii) क्या िनचली अपीलीय अदालत के िनष्कर्ष सबूतों की गलत व्याख्या पर आधािरत हैं और िवकृत हैं?

(iv) क्या आक्षिपत निर्णय और डिक्री ने अपीलकर्ता-प्रतिवादी पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है?

(v) क्या सीपीसी के आदेश XLI के नियम 31 के प्रावधानों के अनुपालन के बिना आक्षिपत निर्णय पारित किया गया है?

उपरोक्त प्रश्न में से, प्रश्न (ii) वास्तव में, इस न्यायालय की राय में, "पढ़ा जाना चाहिए"कि क्या वादी को मामले की परिस्थितियों में प्रार्थना की गई निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए थीऔर तदनुसार पुनः संशोधित किया गया है।

कानून का एक और प्रश्न जिसे बनाया जाना आवश्यक है वह है "क्या संपत्ति में हस्तक्षेप से प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दायर मुकदमे में मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा साबित करने की जिम्मेदारी वादी या प्रतिवादी पर होगी और दूसरी बात, क्या यह साबित करने की जिम्मेदारी होगी कि कब्जा ले लिया गया है मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी द्वारा, वादी या प्रतिवादी पर था"। तदनुसार, यह इस 2 में विचार किया जाने वाला कानून का अंतिम प्रश्न (प्रश्न संख्या vi) हैश

अपील की गई है और तदनुसार निर्णय लिया गया है।

दरअसल, प्रश्न संख्या. (i) यहां उपरोक्त वास्तव में कानून का प्रश्न नहीं है और पूरी तरह से तथ्य का प्रश्न है; फिर भी, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से यह नहीं बता सके कि उत्तरदाताओं के पक्ष में उपहार/आवंटन पत्र, अनुलग्नक पी-7 से पी-10 कैसे दिए गए। इसमें 1 से 4 किसी भी तरह से पढ़ने योग्य नहीं हैं क्योंकि ऐसे आवंटन पत्र 'द्वारा जारी किए गए दिखाए गए हैं''सरपंच' ग्राम मटोर की ग्राम पंचायत का, तीन मरला भूखंडों के ऐसे आवंटन का उद्देश्य आवंटी को उस पर घर बनाने में सक्षम बनाना है।

विद्वान वकील ने इस बारे में कोई तर्क नहीं दिया है कि उक्त आवंटन अवैध या अमान्य क्यों हैं, या तो किसी वैधानिक या प्रक्रियात्मक रोक के कारण, या कागजात के स्टांप मूल्य (जिस पर आवंटन निर्धारित है) के कारण, किसी भी वैधानिक के
विपरीत है। प्रावधान।

वास्तव में, ऐसे किसी भी मुद्दे पर नीचे की विद्वान अदालतों के समक्ष वास्तव में बहस की गई ही नहीं दिखाई गई।

नतीजतन, मुझे यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उन दस्तावेजों को गलत तरीके से पढ़ा है।

(26) यहां ऊपर दिए गए अंतिम प्रश्न को सबसे पहले लेते हुए (प्रश्न संख्या vi), सबसे पहले, और कब्ज़ा साबित करने का दायित्व किस पर है, सबसे पहले उस चरण में जब मूल वाद की मांग की जा रही हो

प्रतिवादी-वादी द्वारा निषेधात्मक निषेधाज्ञा दायर की गई थी और दूसरे, जिस पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि वादी द्वारा किए गए किसी भी कब्जे को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा परेशान किया गया था।

इसके पहले भाग में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है **अनाथुला सुधाकर**बनाम **पी. बुची रेड्डी (मृत) एलआर और अन्य द्वारा**[3], का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया था:-

> "**1**. स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मात्र मुकदमा कब दायर किया जाएगा, और परिणामी राहत के रूप में निषेधाज्ञा के साथ घोषणा और/या कब्ज़ा के लिए मुकदमा दायर करना कब आवश्यक है, इसके सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय हैं। हम उनका संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं।
>
> **1**.1) जहां वादी किसी संपत्ति पर वैध या शांतिपूर्ण कब्ज़ा रखता है और ऐसे कब्ज़े में प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है या धमकी दी जाती है, तो सरल निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपने कब्जे की रक्षा करने का अधिकार है जो निषेधात्मक निषेधाज्ञा की मांग करके बेहतर स्वामित्व साबित नहीं करता है। लेकिन गलत कब्जे वाला व्यक्ति असली मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है .
>
> **1**.2)जहां वादी का स्वामित्व विवादित नहीं है, लेकिन वह कब्जे में नहीं है, तो उसका उपाय कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त निषेधाज्ञा मांगना है। कब्जे से बाहर कोई व्यक्ति, कब्जे से राहत का दावा किए बिना, सरलता से निषेधाज्ञा से राहत नहीं मांग सकता है .
>
> **1**.3) जहां वादी का कब्जा है, लेकिन संपत्ति पर उसका हक विवाद में है, या संदेह के घेरे में है, या जहां प्रतिवादी उस पर हक का दावा करता है और प्रतिवादी से बेदखली का खतरा भी है, तो वादी को घोषणा के लिए मुकदमा करना होगा शीर्षक और निषेधाज्ञा की परिणामी राहत। जहां वादी का स्वामित्व संदेह के घेरे में है या विवाद में है और वह कब्ज़ा नहीं कर पा रहा है या कब्ज़ा स्थापित करने में सक्षम नहीं है, तो आवश्यक रूप से वादी को घोषणा, कब्ज़ा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करना होगा।

(जोर केवल इस न्यायालय द्वारा लागू किया गया है)

उपरोक्त सिद्धांतों के अवलोकन से यह पता चलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है

[3]2008 (2) आरसीआर (सिविल) 879

फैसले के पैराग्राफ 11.1 में कहा गया है कि गलत कब्जे वाला व्यक्ति सही मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है, लेकिन पैराग्राफ 11.2 में जो कहा गया है, उसके अनुसार यह योग्य है, जहां वादी का स्वामित्व विवादित नहीं है। लेकिन वह कब्जे में नहीं है, उसका उपाय ऐसे कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना है औरइसके अलावा निषेधाज्ञा की मांग करना; और यह कि कब्जे से बाहर कोई व्यक्ति कब्जे से राहत का दावा किए बिना, सरलता से निषेधाज्ञा से राहत नहीं मांग सकता है।

इसलिए, यदि यहां उत्तरदाता उस संपत्ति पर कब्जे का दावा कर रहे थे जो उनके स्वामित्व में थी (आवंटन पत्र उदाहरण पी-7 से पी-11 के आधार पर), तो निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में, इस तरह के कब्जे को साबित करने की जिम्मेदारी उन पर थी उन्हें।

उन्होंने इसे पर्याप्त रूप से साबित किया या नहीं, यह आगे देखा जाएगा; लेकिन जहां तक संपत्ति पर कब्जा साबित करने के सवाल का संबंध है, जिसके संबंध में प्रतिवादी को हस्तक्षेप करने और प्रवेश करने से रोकने की मांग की गई है, तो कानून के उस प्रश्न का उत्तर इस आशय का है कि, मुकदमा दायर करते समय संपत्ति पर कब्जा साबित करना होगा। प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी/निरोधात्मक निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे में जिम्मेदारी वादी पर होती है।

(27) कानून के उस प्रश्न के दूसरे भाग पर आते हैं, अर्थात क्या यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया था, वह भी केवल प्रथम सिद्धांतों पर, उस व्यक्ति पर पड़ता है जो विपरीत पक्ष द्वारा इस तरह की बेदखली का दावा करता है, खासकर मुकदमे में जिसके द्वारा बाद में मुकदमे में संशोधन करके अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि मुकदमा दायर होने के बाद दूसरे पक्ष ने ऐसा कब्जा ले लिया है।

निःसंदेह, ऐसा केवल निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे में ही होगा, न कि तब जब मुकदमा स्वयं शीर्षक की घोषणा और कब्जे की मांग के लिए दायर किया गया हो, क्योंकि उस स्थिति में, यदि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने शीर्षक को पूरा करने की दलील दे रहा है , तो यह उस पर (प्रतिवादी) साबित करने की जिम्मेदारी है कि वह 12 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा कर रहा था, ऐसा कब्जा वादी भूमि के मालिक की जानकारी के लिए खुला और शत्रुतापूर्ण था।

ऐसे मामले में स्थिति फिर से अलग होगी जहां वादी-जमींदार मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व और उसके कब्जे की घोषणा चाहता है, यह दावा करते हुए कि मुकदमा शुरू होने के समय मूल रूप से मुकदमे की संपत्ति उसके कब्जे में थी, लेकिन

दावा करता है पास होना

कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा बेदखल कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, हालांकि यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर होगी कि वह वादी के स्वामित्व वाली मुकदमे की संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय से लगातार कब्जा कर रहा है, तथापि, यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर होगी कि वादी को बेदखल कर दिया गया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसका दायित्व अनिवार्य रूप से वादी पर होगा, हालांकि यदि प्रतिवादी 12 साल तक अपने कब्जे को साबित करने में असमर्थ है और इस तरह के सबूत पेश करने के दौरान, वह मुकदमे के बाद की तारीख से ही अपने कब्जे को साबित कर सकता है। स्थापित किया गया था, स्वाभिवक रूप से वादी पर बोझ, उस तथ्य से ही, किसी भी मामले की दी गई परिस्थितियों में उन्मोचित हो जाएगा। (यह किसी भी मामले में वर्तमान मामले में बिल्कुल भी तथ्यात्मक स्थिति नहीं है क्योंकि यह घोषणा की मांग करने वाला मामला नहीं है)।

हालाँकि, दोहराने के लिए, जहां वादी द्वारा दायर मुकदमा केवल प्रतिवादी के खिलाफ वादी की संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप से निषेधात्मक/स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाला है (जैसा कि वादी ने दावा किया है), तो यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि वह था मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा बेदखल किए जाने का अधिकार वादी पर होगा न कि प्रतिवादी पर।

इस प्रकार, उस स्थिति में, फिर से ऐसी बेदखली को साबित करने का भार दूसरे पक्ष के हाथों ऐसी बेदखली का दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है।

अत: प्रश्न संख्या. (vi) उपरोक्त आशय का उत्तर दिया गया है।

(28) उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य प्रश्न पर आते हैं (प्रश्न संख्या ii), कि क्या विवादित डिक्री में दी गई निषेधाज्ञा निचली अपीलीय अदालत द्वारा सही ढंग से दी गई थी, ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए, स्पष्ट रूप से, कब्जे के लिए निषेधात्मक निषेधाज्ञा के किसी भी मुकदमे में साबित होने वाला आवश्यक घटक वादी का, उनके द्वारा इस तरह के कब्जे को साबित कर रहा है।

(29) उस पहलू पर भी, मैं अंतिम निष्कर्ष से सहमत हूं ट्रायल कोर्ट, जहां तक वादी द्वारा निषेधाज्ञा के दावे के टिकने योग्य न होने का संबंध है, कम से कम मुकदमे की संपत्ति के निर्मित हिस्से को महत्व देता है।

(30) ट्रायल कोर्ट द्वारा यह पाया गया कि, सबसे पहले, अंतिरम के बाद वादी के पक्ष में सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत दिए गए एक आवेदन पर आदेश पारित किया गया था, इसके लगभग 10 से 11 महीने बाद उन्होंने उस आदेश के कार्यान्वयन के लिए पुलिस सहायता मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी अभी भी ऐसा कर रहा है। उन्हें मुकदमे की संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। लगभग 08 महीने बाद 31.03.2011 को उनके पक्ष में एक आदेश पारित किया गया, ए

इसी तरह का आवेदन उनके द्वारा लगभग 06 महीने बाद 02.09.2011 को दायर िकया गया था, उस आवेदन को भी स्वीकार कर िलया गया था और पुिलस स्टेशन के SHO को
िनर्देश िदया गया था िक अगर िकसी ने वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोिशश की तो अितक्रमण का मामला दर्ज िकया जाए।

उस आदेश को वर्तमान अपीलकर्ता प्रितवादी द्वारा 2011 की सीआर संख्या 6348 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय ने िनर्देश िदया िक चूंिक वादी ने अपने वादपत्र में दावा िकया है िक वाद की भूिम खाली है, (असंशोधत वादपत्र में), अंतिरम िनषेधाज्ञा उनके पक्ष में है ऐसी खाली भूिम के संबंध में केवल एक ही माना जाएगा जैसा िक वादपत्र के पहले पैराग्राफ में वर्णित है। इस न्यायालय ने उस चरण में वर्तमान अपीलकर्ता को मुकदमे की संपत्ति का सीमांकन करने और "घर का पता लगाने" के िलए स्थानीय आयुक्त की िनयुक्ति के िलए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक उिचत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी दी थी, वादी द्वारा ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं िकया गया था। इसके बजाय उन्होंने 02.11.2012 (िसिवल िरवीजन में इस न्यायालय द्वारा आदेश पािरत िकए जाने के लगभग चार महीने बाद) को एक आवेदन दायर िकया, िजसमें वादी में संशोधन करने की मांग की गई, िजसमें आरोप लगाया गया िक 07.07.2012 (पािरत आदेश से 03 िदन पहले) यह न्यायालय 10.07.2012 को), वर्तमान अपीलकर्ता-प्रितवादी ने मुकदमे की संपत्ति में अितक्रमण िकया थाऔर उसके बाद िनर्माण कार्य बढ़ाया था और पिरणामस्वरूप, अिनवार्य िनषेधाज्ञा का एक िडक्री जारी िकया जाए िजसमें उसे वादी को संपत्ति के शांितपूर्ण खाली कब्जे को बहाल करने/सौंपने का िनर्देश िदया जाए, और साथ ही उसे वादी के शांितपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक िदया जाए।

(31)यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है िक (जैसा िक पहले ही एक सह-लेखक द्वारा देखा जा चुका है) 2010 के िसिवल िरवीजन नंबर 1503 में समन्वय पीठ), िक मूल वादपत्र में मुकदमे की संपत्ति पर िकसी भी िनर्माण का कोई संदर्भ नहीं था (िनर्माण को केवल उत्तरदाताओं-वादी द्वारा प्रितकृित में स्वीकार िकया गया था)। वास्तव में उस स्तर पर, वादी का तर्क यह था िक अपीलकर्ता (प्रितवादी) मुकदमे की भूिम पर प्रवेश करना चाहता था औरअप करने के िलए उसके बाद िनर्माण.

हालाँिक, इसके बाद, िदनांक 17.07.2009 की प्रितकृित में, उन्होंने स्वीकार िकया िक वर्तमान अपीलकर्ता के िलिखत बयान में उल्लिखित दो कमरे, संपत्ति पर बनाए गए थे, लेिकन उन्होंने (वादी ने) उनका िनर्माण तब िकया था जब वे कभी-कभार मटोर गाँव जाते थे। .

इसके बाद, वाद में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन में, वादी ने पैराग्राफ 7 में कहा िक अपीलकर्ता ने 07.07.2012 को मुकदमे की संपत्ति में प्रवेश िकया, जब वादी स्टेशन से बाहर थे, और उनकी सहमित के िबना गैरकानूनी तरीके से िनर्माण िकया था। वादी. ध्यान देने वाली बात ये है िक कुछ भी नहीं हुआ है

उत्तरदाताओं-वादीगणों के वकील द्वारा वादपत्र में बताया गया कि संशोधित वादपत्र में भी यह कहीं भी कहा गया था कि वादीगणों ने पहले निर्माण किया था, हालांकि लिखित बयान में दायर प्रतिकृति में उनके द्वारा यही रुख अपनाया गया था। मूल शिकायत का जवाब.

(32) ऐसा होने पर, यह पहले से ही यहां माना गया है कि
यह सिबत करने की जिम्मेदारी कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया था, वास्तव में वादी पर था, न कि प्रतिवादी पर, यहां तक कि मुकदमा दायर करने के समय अपना कब्जा सिबत करने की जिम्मेदारी भी स्वाभिवक रूप से उन पर थी (वादी), वर्ष 2001-05 में उनके कब्जे के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों पर भरोसा करने के अलावा, उनके द्वारा उस दायित्व का कभी भी पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया गया था।

निस्संदेह, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय को कुछ भी नहीं बताया गया है कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत का निष्कर्ष इस आशय का है कि 'जमाबंदी'पूर्व. पी-1 से पी-4 ने वादीगण को वर्ष 2004-05 में मुकदमे की संपत्ति के मिलक के रूप में दिखाया ('जमाबंदी'उस तिथि का), एक विकृत खोज है; हालाँकि, वास्तव में, जहां तक स्वामित्व का संबंध है, यहां तक कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि मुकदमे की संपत्ति पूर्व दस्तावेजों (आवंटन पत्र) के माध्यम से वादी को आवंटित की गई थी। पी-7 से पी-10 तक, उनका रुख यह था कि उन्होंने वास्तव में मुकदमे की जमीन को छोड़ दिया था और गांव छोड़ दिया था और उन्होंने मुकदमे की जमीन के एक हिस्से पर दो कमरों का निर्माण किया था, आवंटन को वास्तव में रद्द कर दिया गया माना गया था वादी ने आवंटन के 12 महीने की निर्धारित अविध के भीतर अपने घरों का निर्माण नहीं किया था। इस स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि जहां तक डीम्ड रद्दीकरण का संबंध है, यहां तक कि ट्रायल कोर्ट ने भी अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया था, इस आधार पर
कि ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था कि आवंटन रद्द कर दिया गया था या ग्राम पंचायत ने कब्जा फिर से शुरू कर दिया था। भूखंडों का.

एक पत्र, मार्क डीए, जिसके द्वारा अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि पंचायत ने उसे भूखंडों पर अपना घर बनाने की अनुमित दी थी, पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय की चर्चा को उस न्यायालय द्वारा साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं माना गया था। दस्तावेज़ को कभी भी इस रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है, और किसी भी मामले में, इस न्यायालय के समक्ष भी, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह नहीं बताया गया है कि पंचायत का कोई भी सदस्य उस पत्र के पक्ष में गवाही देने के लिए खड़ा हुआ था।

फिर भी, वह पत्र अलग, सवाल इसमें हैफूलवाद संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में नहीं है, जो किसी भी मामले में आधार पर है

आवंटन पर अपीलकर्ता द्वारा भी िववाद नहीं िकया गया है (जहां तक मूल रूप से िकए गए आवंटन का संबंध है), इसिलए सवाल केवल इस संबंध में है िक क्या, सबसे पहले, जब मुकदमा दायर िकया गया था, उस समय उत्तरदाताओं-वादीगण के पास वास्तव में उसका कब्जा था और यिद तो, क्या अपीलकर्ता-प्रितवादी ने मुकदमे के लंिबत रहने के दौरान उस पर जबरन कब्ज़ा कर िलया था।

(33) हालांिक, िफर से िनस्संदेह, एक 'वैधािनक अनुमान' के तहत पंजाब भूिम राजस्व अिधिनयम, 1887 की धारा 44, राजस्व िरकॉर्ड में प्रिवष्िटयों के पक्ष में उठाई गई है और इसिलए, '***Jamabandi*** वर्ष 2004-05 के िलए 'ईएस' में महत्व होगा, िजसमें उत्तरदाताओं-वादी को संपत्ति के मािलक के रूप में िदखाया गया है, िफर भी, इस न्यायालय की राय में, स्वयं वादी की दलीलों से भी यह अनुमान सफलतापूर्वक खािरज हो गया है, जब उन्होंने मूल वादपत्र में मुकदमे की संपत्ति पर िकसी भी िनर्माण का उल्लेख नहीं िकया और केवल प्रितकृित में यह रुख अपनाया िक
िजस िनर्माण के बारे में अपीलकर्ता-प्रितवादी ने अपने िलिखत बयान में वर्णत िकया है, वह वास्तव में उनके द्वारा बनाया गया था, अर्थात वादी.

हालाँिक, पूरा ले रहा हूँउल्टा चेहरासंशोधत वाद में उन्होंने यह रुख अपनाया िक अपीलकर्ता-प्रितवादी ने 07.07.2012 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जबरन मुकदमे की संपत्ति में प्रवेश िकया।और िफर संपत्ति पर िनर्माण िकया .

जैसा िक पहले ही देखा जा चुका है, मुकदमा 25.04.2009 को स्थापत िकया गया था, अर्थात 2004-05 की अविध के लगभग 04 वर्ष बाद, जो िक 'में दर्शाई गई अविध है। जमाबंदी' पूर्व. पी-1 से पी-4.

हालाँिक, मुकदमे की संपत्ति के कब्जे के संबंध में प्रितवादी के पक्ष में कोई बाद में उत्पिरवर्तन दर्ज नहीं िकया गया है, राजस्व िरकॉर्ड को वादी के पक्ष में इस तरह के कब्जे को िदखाने के िलए जारी रखा जाएगा; हालाँिक, इस न्यायालय द्वारा ऊपर दो बार जो देखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, और ट्रायल कोर्ट द्वारा भी िवस्तार से िनपटा गया है, इस आशय का िक दो कमरों के िनर्माण का उल्लेख मूल वाद में कभी नहीं िकया गया था, प्रितकृित में कहा गया है िक वादी ने िलिखत बयान में उल्लिखत िनर्माण िकया था (प्रितवादी नहीं), लिकन संशोधत वाद में उस रुख को भी छोड़ िदया गया और एक पूरी तरह से नई कहानी बनाई गई, उस कब्जे पर प्रितवादी द्वारा 07.07.2012 को प्रवेश िकया गया था और उसके बाद उसके द्वारा िकया गया
िनर्माण, राजस्व िरकॉर्ड में प्रिवष्िटयों के पक्ष में धारणा का खंडन िकया जाएगा; अपीलकर्ता-प्रितवादी के नेतृत्व में तीन गवाहों (स्वयं सिहत) के मौखक साक्ष्य के साथ यह देखा गया िक उसने इस पर कमरे का िनर्माण िकया था और लंबे समय से उनमें रह रहा था।

(34) क्या ऐसे िनवास की 40 वर्ष की अविध का दावा िकया गया है अपीलकर्ता द्वारा िदया गया दावा सही है या नहीं, इस पर इस न्यायालय द्वारा कोई िटप्पणी नहीं की गई है, क्योंिक जो सिाबत िकया जाना था वह मुकदमा दायर करने की तारीख पर कब्जे की अविध नहीं थी, बल्िक उस तारीख को िकसी भी पक्ष का वास्तिवक कब्जा था।

िनःसंदेह, यिद वाद वादी द्वारा अपने स्विामत्व के आधार पर वाद की संपत्ति पर कब्जा करने की मांग करते हुए दायर िकया गया होता, तो ऐसा करने के उनके अिधकारों पर िनष्कर्ष पूरी तरह से अलग हो सकते थे; लिेकन यह मुकदमा केवल स्थायी िनषेधाज्ञा (अपने मूल रूप में) की मांग करने वाला है, और उसके बाद अपने संशिोधत रूप में अिनवार्य और पिरणामी स्थायी िनषेधाज्ञा की मांग करने वाला है, मुकदमे की शुरुआत की तारीख पर उनके कब्जे को वादी द्वारा सिाबत िकया जाना था, जो मेरी राय में उन्होंने वास्तव में अपनी ही दलीलों को खिारज कर िदया।

दरअसल, कब्जे को सिाबत करने की कोिशश करने के बजाय, िजसे वादी ने वास्तव में अपनी दलीलों से खिारज कर िदया था, उनके िलए सही उपाय कब्जे के िलए मुकदमा और उसके बाद स्थायी िनषेधाज्ञा की मांग करना होता।

(संभवत: उन्होंने प्रितवादी द्वारा प्रितकूल कब्ज़ा िकये जाने की दलील के डर से ऐसा नहीं िकया; लिेकन जैसा भी हो, ऐसी िकसी भी संभावना (या ऐसी िकसी यािचका के गुण-दोष) पर िटप्पणी िकए िबना, िजसे नजरअंदाज नहीं िकया जा सकता वह यह है
िक वादी, राजस्व िरकॉर्ड का हवाला देने के अलावा, अपने कब्जे को सिाबत करने में िवफल रहे हैं, (वास्तव में अस्वीकृत) अपनी दलीलों में िवरोधाभासी रुख अपनाते हुए, अपीलकर्ता प्रितवादी ने मुकदमा दायर करने के समय इस पर अपना कब्जा सिाबत कर िदया है)।

(35) जैसा िक पूर्वोक्त कहा गया है, िफर भी, यह कहा जाना आवश्यक है िवद्वान ट्रायल कोर्ट के िनष्कर्ष के संबंध में िक केवल एक वादी ने गवाह बॉक्स में कदम रखा है और अन्य ने नहीं, उक्त वादी पूरे मुकदमे की संपत्ति का संयुक्त मािलक नहीं है और इसिलए कब्जे के संबंध में उसकी गवाही स्वीकार्य नहीं है अन्य भूखंड जो उसके स्विामत्व में नहीं थे ('खसरा'संख्या 40 और 42), मेरी राय में यह िनष्कर्ष गलत है, जैसा िक िनचली अपीलीय अदालत ने सही ढंग से माना है, क्योंिक एक बार यह स्वीकार कर िलया गया था िक वादी एक-दूसरे के िनकटतम पिरवार थे, यानी िपता, पुत्र और पोते, भूखंडों के साथ सभी एक-दूसरे से सटे हुए हैं, यहाँ तक िक वादी संख्या भी नहीं। 2, सभी वादी के िलए एक गवाह के रूप में उपस्िथत होने पर, मामले के अपने ज्ञान के संदर्भ में गवाही देना माना जाएगा, हालांिक वह गवाही अन्यथा यहां िदए गए कारण से खिारज की जा सकती है, यानी मुकदमे की संपत्ति पर वादी का कब्ज़ा वास्तव में था उनके द्वारा अपनाए गए िवरोधाभासी रुख से यह अस्वीकृत हो गया

अलग-अलग समय पर दलीलें, प्रितवादी के मुकदमे की संपत्ित पर उसके कब्जे के साक्ष्य के साथ पूरी तरह से िवश्वसनीय हो जाते हैं।

(36) िफर इस प्रश्न पर आते हैं िक क्या के आधार पर
दस्तावेज़, उदा. पी-13, यह दर्शाता है िक ईंटें और िमट्टी िकसी सुरेश द्वारा िवतिरत की गई थी, प्रितवादी-वादी नंबर 1 (लक्ष्मी दत्त) ने, िडलीवरी के िलए सुरेश को 5,000/- रुपये का भुगतान िकया था, िजससे यह सािबत हो गया िक िनर्माण िकसके द्वारा िकया गया था लक्ष्मी दत्त और अपीलकर्ता द्वारा नहीं, मैं िफर से िवद्वान ट्रायल कोर्ट के िनष्कर्षों से सहमत हूं, न िक प्रथम अपीलीय न्यायालय से, क्योंिक यह कहीं भी सािबत नहीं हुआ है िक उक्त दस्तावेज़ को िकस तारीख को िनष्पािदत
िकया गया था (यह अिदनांिकत है), न ही िकस भूिम के संबंध में िनर्माण के िलए ऐसी कोई सामग्री िवतिरत की गई थी।

यहां तक िक एक िमनट के िलए यह मान भी िलया जाए िक वाद भूिम पर पहुंचाई गई िनर्माण सामग्री का भुगतान स्वयं प्रितवादी वादी संख्या द्वारा िकया गया था। 1, यह अभी भी सािबत नहीं करता है िक िनर्माण अंततः उसके द्वारा ही िकया गया था और यह वह था, न िक अपीलकर्ता िजसने उस समय कब्जा कर िलया था जब मुकदमा दायर िकया गया था।

भले ही िनम्निलिखत अवलोकन अनुमान के दायरे में आ जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है िक िनर्माण को बढ़ा िदया गया होगा<u>उदाहरण पर</u> प्रितवादी संख्या का 1 लेिकन अपीलकर्ता ने (प्रतीत:) इसे खड़ा कर िदया और उसके बाद इस पर उसका कब्जा हो गया।

हालाँिक, स्वाभािवक रूप से उस अनुमान पर भरोसा िकए िबना, जैसा िक पहले ही देखा जा चुका है, वादी ने मुकदमा दायर करने के समय मुकदमे की संपत्ित के
िनर्िमत िहस्से पर अपने वास्तिवक कब्जे को खािरज कर िदया था, अपीलकर्ता की बाद की प्रिवष्िट का सवाल होगा उत्पन्न नहीं हुआ, जो िकसी भी मामले में प्रितवादी वादी द्वारा सािबत नहीं िकया गया क्योंिक वे ऐसा करने के िलए बाध्य थे।

(37) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कानून का मुख्य प्रश्न उठता है यह दूसरी अपील, यानी िक क्या िवद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पािरत अिनवार्य और पिरणामी िनषेधात्मक िनषेधाज्ञा की िडक्री जारी की जानी चािहए थी, इस आशय का उत्तर िदया गया है िक ऐसी िडक्री जारी नहीं की जा सकती थी, उत्तरदाताओं-वादी ने कहा वास्तव में, मुकदमा दायर करने की तारीख पर, मुकदमे की संपत्ित के कम से कम िनर्िमत िहस्से पर उनके कब्जे को खािरज कर िदया गया था और पिरणामस्वरूप, जािहर तौर पर उनका यह तर्क िक मुकदमे के लंिबत रहने के दौरान अपीलकर्ता-प्रितवादी ने कब्जा ले िलया था, भी "झूठ बोल रहा है" और प्रमािणत नहीं पाया जाता है। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट के इस आशय के िनष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है।

(38) 3 तृतीयके िलए िवद्वान वकील द्वारा बनाए गए कानून का प्रश्न अपीलकर्ता को इस आशय का उत्तर भी िदया गया िक प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य को पूरी तरह से गलत पढ़ा, िजसका िवचारण न्यायालय द्वारा सही अर्थ लगाया गया था।

प्रश्न संख्या. (iv) वास्तव में कानून का प्रश्न नहीं है, लिेकन िफर भी इसका उत्तर इस आशय का है िक इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसके आलोक में अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय न्यायालय के िनष्कर्षों से पूर्वाग्रहग्रस्त हो गया है।

(39) जहां तक प्रश्न संख्या का संबंध है। (v), इस पर िक क्या आक्षेप लगाया गया है िवद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का िनर्णय "आदेश एक्सएलआई िनयम 31 सीपीसी के प्रावधान के अनुपालन के िबना" पािरत िकया गया है, उस प्रश्न का उत्तर इस आशय का है िक उक्त िनयम यह िनर्धारित करता है िक अपीलीय न्यायालय िनर्धारण के िलए िबंदुओं को बताएगा, इसके उस पर िनर्णय और ऐसे िनर्णय के कारण, साथ ही अपीलकर्ता िजस राहत का हकदार है, िनर्णय सुनाने, िनर्णय पािरत करने वाले न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षिरत और िदनांिकत होने के साथ। िनचली अपीलीय अदालत ने अपने फैसले के िलए उिचत तर्क िदया है, हालांिक इस अदालत ने उस तर्क को पूरी तरह से गलत पाया है और उसे उलट िदया गया है; हालाँिक, उपरोक्त
िनयम के प्रावधानों का िविधवत अनुपालन िकया जाना पाया गया है।

(40) जैसा िक ऊपर बताया गया है, यह िवशेष रूप से होना चािहए यह पाया गया िक िवद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह पाते हुए भी िक िववाद वास्तव में वादी के पैराग्राफ नंबर 1 के उपपैराग्राफ (ए) से (डी) में िनर्दिष्ट पूरी भूिम के िलए नहीं था, बल्िक केवल उस पर िनर्िमत िहस्से के संबंध में था (उस न्यायालय के फैसले का संदर्भ अनुच्छेद 17); हालाँिक उस न्यायालय ने अंततः वादी के मुकदमे को संपूर्ण मुकदमे की भूिम के आधार पर खािरज करने में गलती की, जबिक इस 2 में इस न्यायालय को कुछ भी नहीं बताया गया है।श

वाद भूिम के शेष भाग पर अपीलकर्ता प्रितवादी के कब्जे के सबूत के संबंध में अपील, या िक वादी वाद भूिम के खाली िहस्से पर अपना कब्जा सािबत करने में सक्षम नहीं थे, पूरे साक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से केंद्रित और प्रस्तुत िकए गए थे केवल वही योग्य है जो िनर्िमत भाग पर कब्ज़ा रखता था।

ऐसा होने पर, इस आशय की िडक्री जारी करके मुकदमे को केवल आंिशक रूप से अनुमित दी जानी चािहए थी िक अपीलकर्ता को मुकदमे की भूिम के खाली िहस्से में हस्तक्षेप करने से रोका जाए, साथ ही मुकदमा खािरज कर िदया जाए क्योंिक िनर्िमत
िहस्सा वास्तव में उसके कब्जे में पाया गया था। अपीलकर्ता-प्रितवादी. तदनुसार, इस आशय का शासनादेश भी जारी िकया जाना चािहए था।

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, िनश्िचत रूप से, वादी के मुकदमे को पूरी तरह से स्वीकार कर िलया है, िजसे इस न्यायालय द्वारा पूरी तरह से गलत पाया गया है, उस
िडक्री को रद्द िकया जाना चािहए; लेिकन ट्रायल कोर्ट के िडक्री के साथ केवल आंिशक रूप से बहाल िकया गया, यानी सूटलैंड पर िनिर्मत िहस्से के संबंध में, जो ट्रायल कोर्ट के अनुसार पाया गया थाखसरा संख्या 40 और 41, यहाँ तक िक स्वयं वादी के साक्ष्य के अनुसार भी (वादी संख्या 4 जय देव- पीडब्लू1)।

(41) उपरोक्त चर्चा के आलोक में यह अपील आंिशक रूप से है अनुमित दी गई, िवद्वान िनचली अपीलीय अदालत के फैसले और िडक्री को आंिशक रूप से रद्द कर िदया गया और अितिरक्त िसिवल जज (सीिनयर िडवीजन), कैथल,
िदनांक 31.10.2013 के फैसले को आंिशक रूप से बहाल कर िदया गया। वादी का मुकदमा योग्यतानुसार हैखसरासंख्या 40 और 41, िजस पर दो कमरों का िनर्माण
िवद्यमान पाया गया, खािरज कर िदया गया है; लेिकन इस हद तक आदेश िदया गया िक अपीलकर्ता-प्रितवादी को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाता हैखसरा क्रमांक 42 और 43। प्रथम अपीलीय न्यायालय के िनर्णय को भी उपरोक्त प्रभाव से संशोधत िकया गया है।

मामले की पिरस्िथितयों में, पार्टियों को पूरी तरह से अपनी लागत वहन करने के िलए छोड़ िदया जाता है।

तदनुसार एक िडक्री-शीट जारी की जाए।

डॉ पायल मेहता